आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
12-10-17	**न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।** विविध वाद संख्या—148 / 2017 धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता नगीना महतो .... प्रथम पक्ष बनाम बंधु महतो वगैरह ....द्वितीय पक्ष यह प्रक्रिया आवेदक नगीना महतो, पिता—स्व0 सोमर महतो, ग्राम—गोसाईडीह, पोस्ट—उदयगढ़, थाना—छत्तरपुर, जिला—पलामू ने 1. बंधु महतो, 2. विफन महतो दोनो के पिता—स्व0 सोमर महतो ग्राम—गोसाईडीह, पोस्ट—उदयगढ़, थाना—छत्तरपुर, जिला—पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया। उक्त आवेदन पत्र के आलोक में थाना प्रभारी, छत्तरपुर से इस कार्यालय के ज्ञापांक 853 दिनांक 21.07.2017 से जॉच प्रतिवेदन कि मांग की गई। थाना प्रभारी, छत्तपुर ने जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। जाँच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति—व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं0 प्र0 सं0 लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है— मौजा—गोसाईडीह, खाता सं0—43, प्लॉट सं0—34, रकबा—1.00 एकड़, चौहद्दी, उतर—नंदु कहार, दक्षिण—मालीक साव तेली, पूरब—सोमर यादव, पश्चिम—नगीना यादव, खाता सं0—43, प्लॉट सं0—39,33, रकबा—7.10 एकड़, चौहद्दी, उतर—भुखन भुईयाँ, दक्षिण—रूपचंद महतो, पूरब—मनमोकिर की जमीन, पश्चिम— मनमोकिर की जमीन, खाता सं0—43, प्लॉट सं0—31, रकबा—3.71¾ एकड़, चौहद्दी, उतर—नगीना यादव, दक्षिण—चुल्हन यादव, पूरब—नगीना यादव, पश्चिम—विरन अहिर	P/107 P/111 22-12-17

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	खाता सं0—38, प्लॉट सं0—29,32, रकबा—4.12 एकड़, चौहद्दी, उत्तर—मानीकचंद साहु, दक्षिण—रामदेव महतो, पूरब—सेवा साव, पश्चिम— रास्ता, खाता सं0—43, प्लॉट सं0—34, रकबा—1.00 एकड़, चौहद्दी, उत्तर—नंदु कहार, दक्षिण—नगीना यावद एवं बंधु यादव, पूरब—सोमर यादव, पश्चिम—नगीना यादव एवं बंधु यादव, के लिए विवादी भूमि के उपर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गयी। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थि हुए एवं कारण पृच्छा दाखील किये। प्रथम पक्ष के कारण पृच्छा का सार यह है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष आपस में गोतिया हैं तथा एक साथ प्रकिया में चल रहे भूमि का खरीद केवाला से किये हैं। दिनांक 03.07.2017 को पंचो के द्वारा ग्रामिन अमीन के द्वारा मापी कर दोनो पक्षों के बिच बटवारा किया गया। खाता सं0—43 एवं 34, प्लॉट सं0—34,33,39,31,29,32 एवं 34 के भूमि को पंचो एवं अमीन ने दोनो पक्षो के सहमती से 18 कड़ी चौड़ा रास्ता रोड तक निकाला गया जिसमें दोनों पक्षों को रोड के सामने भूमि को बाटा गया। नक्शा के अनुसार अमीन ने भूमि में दो रास्ता निकाले जिसमें दोनो पक्षों के सहमति से भूमि को 6 भाग में बाटा गया, जिसमें प्रथम पक्ष को रास्ता में उतर एवं दक्षिण दिया गया तथा 4 भाग भूमि द्वितीय पक्ष के लोगों को दिया गया। बटवारे के आलोक में दोनों पक्ष अपने अपने हिस्से के भूमि पर दखल कब्जे में आये तथा खेति बारी किये। द्वितीय पक्ष के कारण पृच्छा का सार यह है कि वाद भूमि पर द्वितीय पक्ष का हक दखल कब्जा एवं अधिकार स्थापित है और द्वितीय पक्ष आपसी बटवारा के अनुसार अपने अपने हिस्से के जमीन में घर बनाये हैं तथा सिंचाई के लिये द्वितीय पक्ष अपने हिस्से के जमीन कुआँ बनाये हैं तथा खेति बारी करते आ रहे हैं। यह कि प्रथम पक्ष इस वाद कि भूमि पर अपना दावा कर रहे हैं जो धारा 144 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत किसी पक्षकार का हिस्से का निराकरण करना तथा भूमि का विभाजन करना धारा 144दं0प्र0सं0	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	के अंतर्गत संभव नही है। सोमर यादव एवं दशरथ यादव ने खाता सं0—43, प्लॉट सं0—39 , रकबा—1.77¾ एकड़ एवं प्लॉट सं0—33, रकबा—0.6¾ एकड़ भूमि निबंधित विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 06.12.1985 को लक्ष्मण यादव से खरीद किये थे जिसमें द्वितीय पक्ष सोमर यादव के पुत्र हैं तथा दशरथ यादव या उनकें वंशज को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है और उपरोक्त खरीदगी भूमि इस वाद के अंर्गत है। क्रेता दशरथ यादव या उनके वंशज के अनुपस्थिति में बिना उनके पक्ष सुने प्रभाव कारी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस वाद कि भूमि को सुंयुक्त रूप से विभिन्न विक्रय पत्र के द्वारा उभय पक्षों एवं उनके पूर्वज सोमर यादव ने क्रय किया था। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष का दावा स्वत्व वाद से संबंधित है जिसका निराकरण हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है। पक्षकार चाहे तो सक्षम न्यायालय जा सकते है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित** **अनुमंडल दंडाधिकारी,** छत्तरपुर (पलामू)। **अनुमंडल दंडाधिकारी,** छत्तरपुर (पलामू)।	